Enrollment No. YY/9664

Degree No. : 024

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR
अग्ने नय सुपथा राये

NAAC Accreditation 'A'

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.) INDIA

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी
DOCTOR OF PHILOSOPHY

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सीमा अग्रवाल द्वारा **डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी** हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबंध इस विश्वविद्यालय द्वारा २०१९ में स्वीकार किया गया, उन्हें आज वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य विषय में **डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी** की उपाधि प्रदान की जाती है।

This is to certify that the thesis submitted by **Smt. Seema Agrawal** for the Degree of **Doctor of Philosophy** has been accepted by the University, during the year **2019** and he/she is admitted today to the Degree of **Doctor of Philosophy** in the Subject **Commerce** under the Faculty of **Commerce**.

शोध-प्रबंध का विषय (TITLE OF RESEARCH)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जी.एस.टी. का तुलनात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर संभाग के विशेष संदर्भ में)

रायपुर, दिनांक : 26, फरवरी 2020
Raipur, Dated : 26, February 2020
Issued on :

KESHARI [illegible] VERMA
कुलपति
KULPATI

S. No 572 Book No 23

Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR-492010 (C. G.)

Ph.D. COURSE WORK CERTIFICATE

Ref. - Ph. D. CW/~~Apr. 2012~~ May 2015 ROLL No. COM/06/CW/2015

Certified that Ku /Smt./Shri SEEMA AGRAWAL

Father's/~~Husband's~~ name Shri RAJESH AGRAWAL

Mother's name _____

has completed the Course Work in the academic session ~~2011-12~~ 2015 in subject Commerce on Research Methodology, Quantitative Methods and Computer Applications. The candidate has also presented the review of published research in the relevant field as per the provisions laid down in the Ordinance 45 of Pt. Ravishankar Shukla University Raipur.

On Successful Completion of the Course Work this certificate of Qualification is awarded to the Candidate on 23/5/2015

In - Charge
Ph. D. Course work Exam
SoS in INSTITUTE OF MANAGEMENT
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C. G.)
(Seal)

Deputy Registrar (Acad.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

NAME OF TEACHER	TITLE OF PAPER	NAME OF AUTHOUR'S	DEPATMENT OF THE TEARCHER	NAME OF JOURNAL	YEAR OF PUBLICATION	ISBN/ISSN NUMBER
DR. SEEMA AGRAWAL	1.उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर– भिलाई स्टील प्लांट	डॉ सीमा अग्रवाल	Commerce	RJHSS.	Jan-March 2015	ISSN-0975-6795
----------	2.वस्तु एंव सेवा कर (जी एस टी) एवं इनपुट सेवा वितरण की अवस्था	डॉ सीमा अग्रवाल	Commerce	158 Reserch Link	May 2017	ISSN-0973-1628
----------	3.National Seminar JM Pact Of Technal Changes In Banking and Insurance Sector	डॉ सीमा अग्रवाल	Commerce	C.G. Concil Of Science & Teach elagu Raipur C.G.	12-13 Aug 2015	- ----------
----------	वस्तु एंव सेवाकर (GST) की दरो मे परिवर्तन	डॉ सीमा अग्रवाल	Commerce	IJRRSS	Jan-March 2019	ISSN-2347-5145

Volume 06 | Issue 1 | Jan.-March, 2015 ISSN-0975-6795

RJHSS

Research Journal of Humanities and Social Sciences

A&V PUBLICATIONS
www.anvpublication.org

An International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 0975 – 6795 (print)
ISSN 2321– 5828 (online)
Research J. Humanities and Social Sciences. 6(1): January-March, 2015, 50-52

Research Article

www.anvpublication.org

***Corresponding Author:**
डॉ. विजय अग्रवाल
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य,
शा.पे.यो. छ.ग. महा., रायपुर

Received on 16.02.2015
Modified on 11.03.2015
Accepted on 26.03.2015
© A&V Publication all right reserved

उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर– भिलाई स्टील प्लांट

डॉ. विजय अग्रवाल[1]*, श्रीमती सीमा अग्रवाल[2]
[1]विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, शा.पे.यो. छ.ग. महा., रायपुर
[2]सहायक प्राध्यापक, गुरूकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर

सारांशः
सेल का आरंभ स्वाधीन राष्ट्र के साथ हुआ जो रायपुर से 40 कि.मी. दूर भिलाई जिला दुर्ग में स्थित है। यह इस्पात निर्माण में लगी प्रमुख कंपनी है जो इस्पात के समान में हाट तथा कोल्ड रौल्ड सीटें कॉयल, जस्ता, चद्दी सीट, विद्युत सीट, रेल की पटरी, जो देश में यही बनती है। हाल ही में इसने युद्धपोत की प्लेट का भी निर्माण किया है। जिससे भारत में सबसे बड़ा युद्धपोत बनाया गया है। इस्ताप उद्योग में इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ संगठनों में की जाती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है भिलाई स्टील प्लांट जो विकास करते हुए अनेक राष्ट्रीय पुरूस्कारों से सम्मानित होते हुए देश को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ऊंचाईयों पर पहुंचा रहा है।

पृष्ठभूमि और इतिहासः

सेल का आरम्भ एक स्वाधीन राष्ट्र के उदय के साथ हुआ। स्वाधीनता मिलने के पश्चात राष्ट्र निर्माताओं ने देश के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने की परिकल्पना की। इस्पात क्षेत्र को आर्थिक विकास का साधन माना गया। 19 जनवरी, 1954 को हिन्दुस्तान स्टील प्रा.लि. की स्थापना की गई।

नए आयाम (1959–1973):

आरम्भ में हिन्दुस्तान स्टील (एचएसएल) को राउरकेला में लगाए जा रहे एक इस्पात कारखाने का प्रबन्ध करने के लिए गठित किया गया था। भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के लिए प्राथमिक कार्य लोहे और इस्पात मंत्रालय ने किया था। अप्रैल 1957 में इन दो इस्पात कारखानों का नियंत्रण व कार्य की देखरेख भी हिन्दुस्तान स्टील को सौंप दिया गया। हिन्दुस्तान स्टील का पंजीकृत कार्यालय आरम्भ में नई दिल्ली में था। 1956 में इसे कलकत्ता और 1959 में रांची ले जाया गया।

भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की दस लाख टन क्षमता का चरण दिसम्बर, 1961 में पूरा किया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की दस लाख टन क्षमता का चरण व्हील एवं एक्सल संयंत्र के चालू होने के बाद जनवरी, 1962 में पूरा हुआ। इसके साथ ही हिन्दुस्तान स्टली लिमिटेड की कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता 1 लाख 58 हजार टन (1959–60) से बढ़कर 16 लाख टन हो गई। बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण और परिचालन के लिए जनवरी, 1964 में बोकारी स्टील लिमिटेड के नाम से एक नई कम्पनी का निगमन किया गया। भिलाई इस्पात कारखाने का दूसररा चरण वायर रॉड मिल चालू होने के साथ ही सितम्बर, 1967 में पूरा किया गया। राउरकेला की 18 लाख टन क्षमता की अंतिम यूनिट–टेण्डम मिल फरवरी, 1968 में चालू हुई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने का 16 लाख टन क्षमता का चरण स्टील मेल्टिंग षाप में भट्टी चालू होने के बाद अगस्त, 1969 में पूरा किया गया।

भिलाई में 25 लाख टन, राउरकेला में 18 लाख टन तथा दुर्गापुर में 16 लाख टन के चरण पूरे होने के साथ ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की कुल कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता 1968–69 में बढ़कर 37 लाख टन और 1972–73 में 40 लाख टन हो गई।

धारक कम्पनी:

इस्पात तथा खान मंत्रालय ने उद्योग के प्रबंधन के लिए एक नया मॉडल तैयार करने के वास्ते नीतिगत वक्तव्य तैयार किया। 2 दिसम्बर, 1972 को यह नीति वक्तव्य संसद में पेश किया गया। इसके आधार पर कच्चे माल और उत्पादन का कार्य एक ही के अधीन लाने के लिए धारक कम्पनी के सिद्धान्त को आधार बनाया गया। परिणामस्वरूप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड का गठन किया गया। 24 जनवरी, 1973 को निगमित इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रू. थी तथा इसे भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर में पांच एकीकृत इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाना और सेलम इस्पात कारखाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। 1978 में सेल का पुनर्गठन किया गया और इसे एक परिचालन कम्पनी बनाया गया।

अपने गठन के बाद से ही सेल देश में औद्योगिक विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करने में सहायक सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त इसने तकनीकी तथा प्रबंधकीय विशेषज्ञता के विकास में भी महत्वपूर्ण योग दिया है। सेल ने उपभोग करने वाले उद्योगों को निरन्तर कच्चा माल उपलब्ध करा कर आर्थिक विकास की अनेक प्रकियाएं प्रारम्भ की हैं।

सरकार द्वारा पूर्व मध्यप्रदेश के मैदानी इलाके में 1950 के अन्तिम वर्षों में बसाया गया यह नगर आज छत्तीसगढ़ का एक औद्योगिक केन्द्र व भरा–पूरा नगर है। नगर का केन्द्र बिन्दु भिलाई इस्पात कारखाना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किमी. पश्चिम में हावड़ा–मुम्बई रेल लाईन तथा ग्रेट इस्टर्न हाईवे पर स्थित।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। कंपनी में घरेलू निर्माण इंजीनियरी, बिजली, रेलवे, मोटरगाड़ी और सुरक्षा उद्योगों तथा निर्यात बाजार में बिक्री के लिए मूल तथा विशेष दोनों तरह के इस्पात तैयार किए जाते हैं। यह कारोबार के हिसाब से देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी 10 कम्पनियों में से एक हैं। सेल अनेक प्रकार के इस्पात के सामान का उत्पादन और उनकी बिक्री करती है। इनमें हॉट तथा कोल्ड रोल्ड शीटें और कॉयल जस्ता चढ़ी शीट, वैद्युत शीट, संरचनाएं, रेलवे उत्पाद, प्लेट बार और रॉड, स्टेनलेस स्टील तथा मिश्र धातु इस्पात शामिल हैं। सेल अपने पांच एकीकृत इस्पात कारखानों और तीन विशेष इस्पात कारखानों में लोहे और इस्पात का उत्पादन करती है। ये कारखाने देश के पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित हैं तथा इनके पास ही कच्चे माल के घरेलू स्त्रोत उपलब्ध हैं। इन स्त्रोतों में कंपनी की लौह अयस्क, चूना–पत्थर और डोलोमाइड खानें शामिल हैं। कंपनी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक होने का श्रेय भी प्राप्त है। इसके पास देश में दूसरा सबसे बड़ा खानों का जाल है। कंपनी के पास अपने लौह अयस्क, चूना–पत्थर और डोलोमाइट खानें हैं जो इस्पात निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। इससे कंपनी को प्रतियोगिता में लाभ मिल रहा है।

सेल के व्यापक लम्बे तथा सपाट इस्पात उत्पादों की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। बिक्री का कार्य सेल का अपना केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) करता है। सीएमओ के 4 क्षेत्रों में 37 शाखा कार्यालयों से बिक्री की जाती है। इसके अलावा 25 विभागीय गोदाम, 42 कंसाइनमेंट एजेन्ट, 27 उपभोक्ता सम्पर्क कार्यालय भी संठगठन के बिक्री नेटवर्क के अंश हैं। घरेलू बाजार में बिक्री के केन्द्रीय विपणन संगठन के प्रयासों में ग्रामीण डीलरों का बढ़ता हुआ एक नेटवर्क देश के कोने–कोने में छोटे से छोटे उपभोक्ता की मांग पूरी कर रहा है। इस समय सेल के 2000 से अधिक डीलर हैं। इसका विशाल विपणन तंत्र देश के सभी जिलों में उच्च गुणवत्ता के इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।

सेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डिवीजन सीईएसओ 9001:2000 से प्रमाणित है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है और यह सेल के पांच एकीकृत इस्पात कारखानों से मृदुल इस्पात उत्पादों तथा कच्चे लोहे का निर्यात करता है।

गत चार दशक में सेल ने इस्पात निर्माण में तकनीकी तथा प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्राप्त की है। सेल परामर्शदात्री डिवीजन (सेलकॉन), जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है, विश्व भर के ग्राहकों को इस विशेषज्ञता का लाभ उपलब्ध करा रहा है।

सेल का रांची में एक सुगठित लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) है। यह केन्द्र इस्पात उद्योग के लिए नई तकनीकों के विकास तथा इस्पात की गुणवत्ता में सुधार में मदद दे रहा है। इसके अलावा सेल का एक अपना इंजीनियरी तथा तकनकी केन्द्र (सेट), एक प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) तथा सुरक्षा संगठन भी है। इनके कार्यालय रांची स्थित हैं। कोलकाता स्थित कच्चा माल डिवीजन हमारी निजी खानों का नियंत्रण करता है। सेल के पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन और विकास

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

डिवीजन के मुख्यालय कोलकाता में हैं। हमारे लगभग सभी इस्पात कारखाने और प्रमुख यूनिटें आईएसओ प्रमाणित है।

10 बार देश का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कारखाने के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त यह कारखाना राष्ट्र में रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का एकमात्र निर्माता तथा संरचनाओं का प्रमुख उत्पादक है। देश में 260 मीटर की रेल की सबसे लम्बी पटरियों के एकमात्र सप्लायर, इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 31 लाख 53 हजार टन विकय इस्पात की है। यह कारखाना चार रॉड तथा मर्चेन्ट उत्पाद जैसे विशेष सामान भी तैयार कर रहा है। भिलाई इस्पात कारखाना आईएसओ 9001:2000 गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली से पंजीकृत है। अतः इसके सभी विकेय इस्पात आईएसओ की परिधि में आते हैं।

भिलाई के कारखाने, इसकी बस्ती और डल्ली खानों को पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली से सम्बन्धित आईएसओ 14001 भी प्राप्त है। यह देश का ऐसा एकमात्र इस्पात कारखाना है जिसे इन सभी क्षेत्रों में प्रमाणपत्र मिला है। कारखाने को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए एसएः 8000 प्रमाणपत्र और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए ओएचएसएएस– 18001 प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। इन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाण पत्रों के कारण भिलाई के उत्पादों का महत्व और भी बढ़ जाता है तथा इस्पात उद्योग में इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ संगठनों में की जाती है भिलाई को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तथा इसे लगातार तीन वर्ष सीआईआई–आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

उत्पाद मिश्र	टन/वार्षिक
अर्ध तैयार माल	5,33,000
रेल तथा भारी संरचनाएं	7,50,000
मर्चेन्ट उत्पाद	5,00,000
(एंगल्स, चैनल्स, राउंड एवं टीएमटी बार)	
वायर रॉड (टीएमटी, सादा तथा रिब्ड)	4,20,000
प्लेट (3600 मिमी. चौड़ाई तक)	9,50,000
कुल विकय इस्पात	31,53,000

चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में सार्वजनिक उपकमों में अनिवेश की शुरूआत भारतीय स्पात प्राधिकरण लि. (SAIL) में अनिवेश के जरिए दिसम्बर 2014 में हुई। इस कंपनी के 5 प्रतिशत शेयरों की बिकी की पेशकश को दुगना से अधिक अभिदान प्राप्त होने का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में सेल की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की दो किश्तों में बिकी के प्रस्ताव को मंजुरी मोदी मंत्री मण्डल ने सितम्बर 2014 में प्रदान की थी।

निष्कर्षः

भिलाई स्टील प्लांट ने स्वाधीनता पश्चात से निरंतर प्रगति की है। सेल ने अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कर उत्पादन, रोजगार, तकनीकि, निर्यात बाजार, उच्च गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध कर देश के सामाजिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

तीव्र औद्योगिकीकरण के युग में सेल ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में दर्ज कराते हुए निःसंदेह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः –

1. https:www.google.co.in/search ?
2. वार्षिक प्रतिवेदन भिलाई स्टील प्लांट 2013–14
3. समाचार पत्र नवभारत
4. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक फरवरी 2015

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

ISSN - 0973-1628

Since 2002 158

Issue - 158, Vol-XVI (3), May - 2017

www.researchlink.co

Microsoft

When you have money in hand,
only you forget who are you.
But
When you do not have
any money in your hand,
the whole world forget
who you are
It's Life.....

Bill Gates

An International Registered and Referred Monthly Journal

Impact Factor 2.782

RESEARCH Link

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

: : CIRCULATION : :

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka / Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajasthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

An International Registered & Referred Monthly Journal
Research Link - 158, Vol - XVI (3), May - 2017, Page No. 111-11[illegible]
Commerce

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) : एक समीक्षा एवं इनपुट सेवा वितरण की अवधारणा

प्रस्तुत शोधपत्र, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की समीक्षा एवं इनपुट सेवा वितरण की अवधारणा पर आधारित है। भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के क्षेत्र में जीएसटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसमें जीएसटी तीन प्रकार से लगाया जाएगा, सेन्ट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और स्टेट जीएसटी। सरकार इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 1 जुलाई 2017 से लागू करने वाली है, जिसमें चार स्लेब पर जीएसटी लगाया जाने वाला है। ये चार स्लेब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है। जीएसटी के द्वारा बहुत सारे केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व राज्य अप्रत्यक्ष कर को हटाकर एक कर जो दोहरा कर सीजीएसटी तथा एसजीएसटी लागू कर देश के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समान दर लागू कर शीघ्र आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करेगा। यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए राजस्व में वृद्धि करने वाला होगा।

डॉ.विजय अग्रवाल* एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल**

परिचय :

भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के क्षेत्र में जीएसटी का परिचय एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्रीय कर तथा राज्य करों की एक बड़ी संख्या का आपस मे मिलकर एक ही कर तथा जो पिछली स्तरों के करों को छोड़ देता है, यह Cascading के बुरे प्रभाव को कम करेगा तथा सामान्य राष्ट्रीय बाजार के मार्ग में एक रास्ता बनाएगा। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं पर संपूर्ण कर के बोझ में कटौती के संबंध में एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जो वर्तमान 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अनुमानित है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीएसटी की शुरूआत हमारे उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक भी बनाएगी। अध्ययन दर्शाते हैं कि यह शीघ्र ही आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करेगा। यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए कर आधार का विस्तार होने के कारण राजस्व में वृद्धि भी कर सकता है, व्यापारिक खंड में वृद्धि तथा कर अनुपालन में सुधार। अंत में लेकिन कम नहीं, इस क्रस के पारदर्शी स्वभाव के कारण इसे प्रशासन में लाना सुविधाजनक होगा।

उत्पत्ति :

जीएसटी की ओर सोचने का विचार 2006–07 के बजट में पहली बार प्रस्तुत हुआ। प्रारंभिक रूप से, यह प्रस्तावित था कि जीएसटी 1 अप्रैल, 2010 से पहली बार उपयोग में लाया जाएगा। राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त कमेटी ने राज्य VAT का प्रारूप सूत्रित किया तथा अनुरोध किया कि जीएसटी के लिए संरचना तथा दिशा निर्देश बीच में आएं। अधिकारियों के सम्मिलित कार्यकारी समूह ने राज्यों के साथ–साथ केन्द्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जीएसटी के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण को स्थापित किया तथा विशिष्ट रूप से कर छूट तथा सीमा, सेवाओं के लिए कराधान तथा अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के लिए कराधान कर रिपोर्ट पेश की। विचार–विमर्श पर आधारित केन्द्र सरकार के साथ में तथा बीच में सशक्त कमेटी ने नवम्बर, 2009 में जीएसटी पर प्रथम परिचर्चा पत्र स्त्रावित किया। प्रस्तावित जीएसटी की विशेषताओं की व्याख्या करते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच अब तक की परिचर्चा के लिए आधार गठित किया।

जीएसटी की प्रमुख विशेषता :

(1) जीएसटी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति पर लागू होगा, वस्तु के विक्रय तथा उत्पादन या सेवाओं के आयोजन पर वर्तमान कर की अवधारणा के विरूद्ध यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर होगा।

(2) यह केन्द्र तथा राज्यों में एक साथ एक सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा कर होगा। जीएसटी केन्द्र द्वारा अंतर्राज्यीय वस्तु तथा सेवाओं पर आरोपित किया जाने वाला केन्द्रीय जीएसटी तथा राज्य द्वारा आरोपित राज्य जीएसटी कहलाएगा।

(3) जीएसटी शराब तथा पाँच पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, (पेट्रोल) mgth speed diesel, प्राकृतिक गैस तथा विमान इंधन छोड़कर सभी मानवीय उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाएगा। यह कुछ विशिष्ट को छोड़कर सभी पर लगाया जाएगा।

(4) तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र को इन उत्पादों पर केन्द्रीय आयात शुल्क आरोपित करने का अधिकार होगा।

(5) जीएसटी केन्द्र द्वारा एकत्रित तथा उगाही किए जाने वाले निम्नांकित करों के बदले में प्रयोग होगा :

*विभागाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय), जे.वाय.छत्तीसगढ़ कॉलेज
**शोधार्थी (वाणिज्य संकाय), जे.वाय.छत्तीसगढ़ कॉलेज,

(अ) केन्द्रीय आबकारी शुल्क (ब) आबकारी के शुल्क (औषधि तथा प्रसाधन संबंधी तैयारी) (स) आबकारी के अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुओं) (द) आबकारी के अतिरिक्त शुल्क (कपड़ा तथा कपड़ा उत्पाद) (इ) सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (सामान्यतः CVD के जैसे जाने जाते हैं) (फ) सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क (ज) सेवा कर (च) केन्द्रीय अधिशुल्क तथा उपकर अब तक जैसे वे वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित थे।

(6) राज्य कर जो जीएसटी के अंतर्गत शामिल होगें : (अ) राज्य वैट (ब) केन्द्रीय विक्रय कर (स) विलासिता कर (द) प्रवेश शुल्क (सभी रूपों) (इ) मनोरंजन शुल्क (लोकल निकायों को छोड़कर) (फ) विज्ञापन पर कर (ज) क्रय शुल्क (च) लॉटरी, जुआ तथा शर्तों पर कर (ई) राज्य उपकर तथा अधिशुल्क जो अब तक वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित थे।

(7) सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के लिए आरोपित किए जाने वाली दरों का निर्धारण केन्द्र तथा राज्यों दोनों के द्वारा सम्मिलित निर्णय होगा।

(8) यहाँ छोटी–छोटी दरों की टुकड़ियों के साथ जो राज्यों द्वारा एसजीएसटी के लिए तय किए जा सकते हैं, एक मुख्य दर होगी।

(9) करमुक्त वस्तुओं तथा सेवाओं की केन्द्र तथा राज्यों के लिए एक समान ही होगी।

(10) करदाता के लिए एक वित्तीय वर्ष में 1 रू से 10 लाख तक की कुल बिक्री करमुक्त होगी। (कुल बिक्री में सभी करयोग्य तथा करमुक्त आपूर्तियों को शामिल किया जाएगा, करमुक्त आपूर्ति तथा वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात तथा जीएसटी जैसे करों को छोड़कर)। कुछ बिक्री की गणना भारतीय आधार पर की जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए करछूट की सीमा रू 5 लाख होगी। सभी करदाता आगत कर जमा लाभ के साथ कर अदा करने के विकल्प हेतु करमुक्त सीमा के लिए योग्य होगे। करदाता अंर्तराज्यीय आपूर्ति करने तथा विपरित प्रभार आधार पर अदा करने पर सीमित छूट के लिए योग्य नहीं होगें।

(11) छोटे करदाता एक वित्तीय वर्ष में रू 50 लाख तक कुल बिक्री के साथ (composition level) के लिए योग्य होंगे। स्कीम के अंतर्गत, एक करदाता वर्ष के दौरान ITV के लाभ के बिना अपनी बिक्री का एक प्रतिशत के रूप में कर अदा करेगा। सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के लिए Floor Rate, 1 प्रतिशत से कम नहीं होगा। एक करदाता Composition Level चुनाव करने के लिए अपने उपभोक्ताओं से कोई कर एकत्रित नहीं करेगा। Composition Scheme वैकल्पिक है। योग्य करदाताओं को ICT लाभ के साथ कर अदा करने के लिए विकल्प होगा। करदाता अंर्तराज्यीय आपूर्तियों करने तथा Reverse Charge basics पर कर अदा करने के लिए compostion scheme के लिए योग्य नहीं होंगे।

(12) एक एकीकृत जीएसटी अंतर्राज्यीय वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर केन्द्र द्वारा आरोपित तथा एकत्रित किया जाएगा। निश्चित अवधि के दौरान केन्द्र तथा राज्यों के बीच लेखे सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित किए जाएंगे कि आईजीएसटी का एसजीएसटी भाग गंतव्य राज्य अंतरित किए गए हैं, जहाँ से वस्तुओं तथा सेवाओं अंत में उपयोग किया गया है।

(13) करदाता इनपुट पर भुगतान किए गए करों को उधार लेने के लिए तथा आउटपुट कर के भुगतान के लिए वही उपयोग करेंन के लिए allow होगा। जबकि कोई इनपुट कर सीजीएसटी के खाते में एसजीएसटी के भुगतान की ओर उपयोग नहीं हो सकेगा तथा समान रूप से एसजीएसटी के खाते में सीजीएसटी का भुगतान उपयोग नहीं होगा। (vice versa) आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के क्रम में भुगतान के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति होगी।

(14) जीएसटी शासन पद्धति या दौर के अंतर्गत वस्तुओं के वर्गीकरण करने के लिए HSM (नामकरण की संगत प्रणाली) उपयोग किया जाएगा।

(15) वे करदाता जिनकी कुल बिक्री 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है, दो अंकों का कोड उपयोग करेंगे तथा वे करदाता जिनकी बिक्री 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, चार अंकों का कोड उपयोग करेंगे। वे करदाता जिनकी कुल बिक्री 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें अपने बीजक में HSN कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है।

(16) निर्यात को जीरो रेटेड आपूर्ति (Zero rated supply) के रूप में माना जाएगा। वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात पर कोई देय कर नहीं है, लेकिन आपूर्ति से संबंधित इनपुट कर का क्रेडिट निर्यातकों के लिए स्वीकार्य होगा तथा समान को उनके द्वारा वापसी के लिए दावा किया जा सकता है।

(17) वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के रूप में व्यवहार में लाया जाएगा तथा लागू कस्टम शुल्क के साथ–साथ आईजीएसटी के अधीन होगा।

(18) सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के आरोपण तथा एकत्रीकरण के लिए कानून, नियम तथा प्रक्रिया की सीमा एक समान संभव होगी।

जीएसटी में इनपुट सेवा वितरण की आवधारणा :

सेवाओं पर इनपुट के वितरण के उद्देश्य के लिए इनपुट सेवा वितरक के प्रचलित मॉडल को जीएसटी कानून की संरचना के साथ संरेखित करने के संशोधनों के साथ माडल जीएसटी नियम या कानून में अपनाया गया है। ISD के प्रचलित मॉडल में, निर्माता या सेवा प्रदाता का एक कार्यालय जो सेवा उपलब्ध कराता है जो विभिन्न कारखानों/कार्यालयों द्वारा उपयोग की जाती है तथा भविष्य के उपयोग के लिए (सामूहिक रूप से इकाईयों को कहा जाता है) रखी जाती है। कथित उत्पादक/सेवा प्रदाता इन सेवाओं की इकाईयों पर संबंधित नियमावली, 2004 (CCR) esa ISD तंत्र का उपयोग करते हुए इस तरह की सेवाओं पर संबंधित इनपुट क्रेडिट वितरित करने का प्रावधान कर सकते हैं।

जीएसटी कानून मॉडल में इनपुट सेवा वितरक की अवधारणा :

MGL में प्रस्तावित ISD तंत्र में, एक ही अवधारणा को आगे किया गया है और ISD के रूप में धारा 2(56) के तहत परिभाषित किया गया है जो कि इस प्रकार है :

"इनपुट सेवा वितरक" से आशय वस्तुओं और/या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के कार्यालय से है जो धारा 23 के तहत कर बीजक प्राप्त करता है इनपुट सेवाओं तथा कर बीजक के मुद्दों

या ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति की दिशा में चुकाए गए कथित सेवाओं के सी जीएसटी (राज्य अधिनियम में एस जीएसटी) और/या आई जीएसटी क्रेडिट वितरण करने के उद्देश्य के लिए विहित है एक आपूर्तिकर्ता की करयोग्य वस्तुओं और/या सेवाओं के कार्यालय के रूप में एक समान PAN होने का वर्णन उपयुक्त किया गया है।

ISD की उपयुक्त परिभाषा प्रचलित दौर में अंतर होने के साथ एक करीब समान ही है, जो प्रचलित दौर में अभी–अभी इनपुट सेवा क्रेडिट के वितरण के लिए आउटसोंस विनिर्माण इकाई के लिए भी अनुमति दी गई है, जबकि जीएसटी दौर में ISD केवल समान PAN धारक आपूर्तिकर्ता को क्रेडिट वितरित करना है, इसका आशय क्रेडिट केवल समान इकाई की इकाइयों को वितरित किया जा सकता है। जीएसटी दौर में निर्माण एक करयोग्य घटना नहीं है, क्रेडिट वितरण के उद्देश्य के लिए आउटसोर्सड निर्माण इकाई के असमावेशित का कारण लगता है तथा कर दायित्व केवल पूर्ति के समय पर उदय होग, अंततः जो Principal द्वारा भुगतान किया जाएगा इस केस में जब संबंधित इनपुट क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

उपसंहार :

भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के क्षेत्र में जी.एस.टी. का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिसमे जी.एस.टी तीन प्रकार से लगाया जायेगा। सेन्ट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इंटीग्रेटेड जीएसटी (आई.जी.एस.टी.) और स्टेट जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) सरकार इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 1 जुलाई 2017 से लागू करने वाली है। जिसमें चार स्लेब पर जी.एस. टी. दर लगाया जाने वाला है, जो 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है। आवश्यक वस्तुओं पर कम कर लगाने और विलासिता की वस्तुओं को उच्च कर देना होगा। समाज के अलग–अलग वर्ग द्वारा उपयोग किये जाने वाली वस्तुओं पर अलग–अलग कर की दर होगी। उदाहरण के लिए एयरकंडीशनर और हवाई चप्पल पर एक समान कर नही लगाया जा सकता है। केन्द्र और राज्यों ने छोटे रेस्तरां, होटल, ढाबे जो 50 लाख रू. तक सालाना टर्नओवर वाले हैं, को जीएसटी की दर 5 प्रतिशत तय की है तथा किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। वही 20 लाख रू. तक सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन नही करवाने होगा। इसके अलावा जीएसटी कांउसिल ने आयुक्त स्तर के अधिकारियों को करदाताओं को टैक्स किस्त जमा करने वाले को वित्तीय समस्या से निपटने में राहत मिल सके।

जीएसटी व्यवस्था में सबसे ऊँची दर 28 प्रतिशत के ऊपर लगने वाली उपकर की दर को 15 प्रतिशत अधिकतम तय किया है, जो लक्जरी कारों और कोल्ड ड्रिंक्स पर लागू होगी। पान मसाला उत्पादों पर उपकर की अधिकतम दर मूल्यानुसार 135 प्रतिशत तय की गई है। नई व्यवस्था में सबसे ऊँची दर भोग विलिसिता के सामान पर लागू होगी तथा इस उपकर से मिलने वाली राशि से एक कोष बनाया जाएगा जीएसटी लागू होने के पाँच साल तक अगर किसी राज्य का राजस्व घटता है, तो इसकी भरपाई इसी उपकर कोष से की जायेगी।

भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए जीएसटी लागू करने का विचार एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसमें केन्द्रीय कर तथा राज्य करों की एक बड़ी संख्या को आपस मिलाकर एक कर नीति बनाई है। जीएसटी का विचार 2006–07 के बजट में पहली बार प्रस्तुत हुआ तथा 1 जुलाई 2017 से लागू होने जा रहा है।

जीएसटी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति पर लागू होगा तथा केन्द्र तथा राज्यों में एक साथ एक सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा कर होगा। केन्द्र द्वारा केन्द्रीय जीएसटी राज्य जीएसटी कहलाएगा। जीएसटी शराब तथा ,पाँच पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी मानवीय उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाएगा। इसमे चार स्लैब पर जीएसटी दर लगाना तय हुआ है, जो कि 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है। करमुक्त वस्तुओं तथा सेवाओं का सूची केन्द्र तथा राज्यों के लिए एक ही होगी। जो एक वित्तीय वर्ष में 1 रू. से 10 लाख तक कुल सालाना बिक्री है। वे करदाता जो 50 लाख रू. सालाना टर्नओवर वाले हैं, उन्हें 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। जीएसटी परिषद ने किसानों तथा 20 लाख रू. सालाना आय वाले व्यापारियों को रजिट्रेशन से छूट दी है। निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा तथा आयात पर कस्टम शुल्क के साथ आई जीएसटी लागू होगा। यह कर आवश्यक वस्तुओं पर कम अधिकतम 28 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा, साथ ही उन पर 15 सरचार्ज भी लगाया जाएगा। जीएसटी कर के द्वारा बहुत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व राज्य अप्रत्यक्ष कर को हटाकर एक कर जो दोहरा कर सीजीएसटी तथा एसजीएसटी लागू कर देश के घरेलू व अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में एक समान दर लागू कर शीघ्र आर्थिक वृद्धि की प्रेरित करेगा। यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए राजस्व में वृद्धि करने वाला है।

संदर्भ :

(1) Background material for Training on goods and Services tax July 2017.

(2) Background material on GST The institute on chartered Account of India New Delhi November 2015.

(3) नवभारत, 6 अगस्त 2016, रायपुर संस्करण।

(4) नवभारत, 17 मार्च 2017, रायपुर संस्करण।

(5) दैनिक भास्कर, 04 मार्च 2017, रायपुर संस्करण।

(6) दैनिक भास्कर, 05 मार्च 2017, रायपुर संस्करण।

(7) दैनिक भास्कर, 27 अक्टूबर 2017, संस्करण।

NATIONAL SEMINAR

On

Role of Science & Modern Technology in Performance of Business Activities

12th & 13th August, 2015

SOUVENIR

Smriti shesh ....

Sponsored by

C.G. Council Of Science & Technology, Raipur(C.G.)

Organized by

Faculty of Commerce

Pt. Harishankar Shukla Smriti Mahavidyalaya

Kachna, Raipur (Chhattisgarh)

AI QUAD CAMERA
REDMI NOTE 9 PRO

IMPACT OF TECHNICAL CHANGES IN BANKING AND INSURANCE SECTOR

Seema Agrawal
Assistant Professor Commerce
Gurukul Girls College

Dr. Vijay Agrawal
H.O.D. Commerce
J. Y. Chattisgarh College

- ABSTRACT -

Indian Banking industry and Insurance Sector, today is in the midst of an IT revolution. A combination of regulatory and competitive reasons have led to increasing importance of total banking automation in the Indian Banking Industry.

Information Technology has basically been used under two different avenues in Banking. One is Communication and Connectivity and other is Business Process Reengineering. Information technology enables sophisticated product development, better market infrastructure, implementation of reliable techniques for control of risks and helps the financial intermediaries to reach geographically distant and diversified markets RBI's Monetary and Credit Policy 2003-04, provides an insight into the current developments & future of technology upgradation in the Indian Financial sector, including banks.

The Reserve Bank has assigned priority to the upgradation of technological infrastructure in the financial system. Substantial progress has been made for developing a modern, efficient, integrated and secure payment and settlement system for the financial services sectors. Modernisation of clearing and settlement through MICR based cheque clearing, popularising electronic clearing services (ECS) and integration of RBI-EFT scheme with funds transfer schemes of banks, introduction of centralised funds management system (CFMS) are significant milestones in this regard.

Insurance landscape has undergone a fundamental change. The ever-growing demand for better insurance products and the growing consumer movement has put forth a lot of challenges for this sector. Technology is not just a 'catalyst' to enhance business process; it has taken on the role of an 'innovation agent' in building the business processes using best practices and creating new products.

Volume 7| Issue 1| January -March |2019
ISSN- 2347-5145 (Print)
ISSN- 2454-2687 (Online)

International Journal of Reviews and Research in Social Sciences

IJRRSS

An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-5145 (Print)
2454-2687 (Online)

Vol. 07| Issue-01|
January- March 2019

Available online at
www.anvpublication.org

International Journal of
Reviews and Research in Social Sciences

RESEARCH ARTICLE

वस्तु एवं सेवाकर (GST) की दरो में परिवर्तन (2019)

श्रीमती सीमा अग्रवाल[1], डॉ. विजय अग्रवाल[2]

[1]शोधार्थी, सहायक प्राध्यापिका, विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
[2]निर्देशक, विभागाध्यक्ष, शासकीय जे. योगानंदम छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

*Corresponding Author E-mail:

ABSTRACT:
साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए बहुत सी छूट प्रदान की गई कंपोजिशन स्कीम की सीमा में व जी.एस.टी में छूट की सीमा बढ़ाकर रिटर्न भरने की अवधि में छूट प्रदान करके जिससे छोटे कारोबारी व आम जनता को लाभ होने जा रहा है।

KEYWORDS: वस्तु एवं सेवाकर , परिवर्तन

प्रस्तावना :–

आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार एक जनवरी से जनता को बहुत सी छूट वस्तु एवं सेवाकर की दरो में परिवर्तन कर प्रदान की है। साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए बहुत सी छूट प्रदान की गई कंपोजिशन स्कीम की सीमा में व जी.एस.टी में छूट की सीमा बढ़ाकर रिटर्न भरने की अवधि में छूट प्रदान करके जिससे छोटे कारोबारी व आम जनता को लाभ होने जा रहा है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में गुड्स और सर्विस टैक्स ;ळैज्द्धकाउंसिल की 32वीं बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। जिसमें छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रू कर दी है। बैठक में जीएसटी में छूट सीमा 20 लाख रू से बढ़ाकर 40 लाख रू वार्षिक कर दी गई है। साथ ही मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी। महिला कारोबारियों के लिए ज्यादा रियात। सस्ते ब्याज दर पर कर्ज ले सकेगे। ब्याज दर में दो फीसदी तक की छूट, टर्नओवर के हिसाब से बीमा की रकम तय की जायेगी।

पीयूष गोयल जी ने छोटे कारोबारियों को राहत दी है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 50 लाख तक है उन्हें केवल 6 फीसदी ळैज देना होगा आर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो सिर्फ तीन महिने में एक बार रिर्टन भरना पडेगा।

सरकार ने एक जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंट तक के टेलीविजन और मानिटर स्कीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें पावर बैंक, शीतित एवं डब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत

Received on 19.12.2018 Modified on 11.01.2019
Accepted on 25.02.2019 © A&V Publications All right reserved
Int. J. Rev. and Res. Social Sci. 2019; 7(1):204-206.

सब्जियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। तथा इस बार जीएसटी काउंसिल ने वांशिग मशीन, फ्रिज, टीवी, विडियों गेम्स, जूसर मिक्सर वॉटर कूलर जैसे मध्यवर्गीय उपयोग वाली 17 वस्तुओं को 28 फीसदी से 18 फीसदी के श्रेणी में लाकर इर पर लगने वाले टैक्स में सीधे 10 फीसदी की छूट दी है। एस पी वी (स्पेशल परपज वीइकल) ट्रक और ट्रेलर से लेकर हैंडि क्राफ्ट आइटम सेंट और टॉयलेट स्पे तक और भी कई वस्तुओं पर टैक्स में राहत दी गई है। सबसे बडी बात यह है कि सेनटरी नैपकिन को टैक्स फ्री कर दिया गया है। जिसकी आक्रोश पूर्ण मांग पहले दिन से की जा रही थी।

जनधन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खाते के धारकों को अब बैंकों की सेवाओं के लिये जीएसटी नहीं देना होगा, सरकार द्वारा परिचालित और अधिसूचित अथवा चार्टड उड़ानों के जरिए यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को अब पांच प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान करना होगा। इसके अलावा 100 तक के सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सौ से अधिक की टिकटों पर 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया। संगमरमर के अनगढ़े पत्थर प्राकृतिक कार्क टहलेन वाली छड़ियों, फ्लाई ऐश से बनी ईटे आदि पर अब पांच प्रतिशत दर से जीएसटी लगेगा, संगीत की किताबों तथा फ्रोजेन ब्रांडेड प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियों आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

अब होटल चाहे फाइव स्टार हो या न हो अगर उसके कमरे का किराया 2500 रू प्रतिदिन और 7500 रू. से कम हो तो उस टैरिफ पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल की ओर से तय रेट स्ट्रक्टर के मुताबिक 1000 रू प्रति कमरा प्रतिदिन और इससे ज्यादा लेकिन 2500 से कम हो तो टैक्स रेट 12 प्रतिशत होगा। तथा फाइव स्टार होटलों पर 28 प्रतिशत जी एसटी लगेगा।

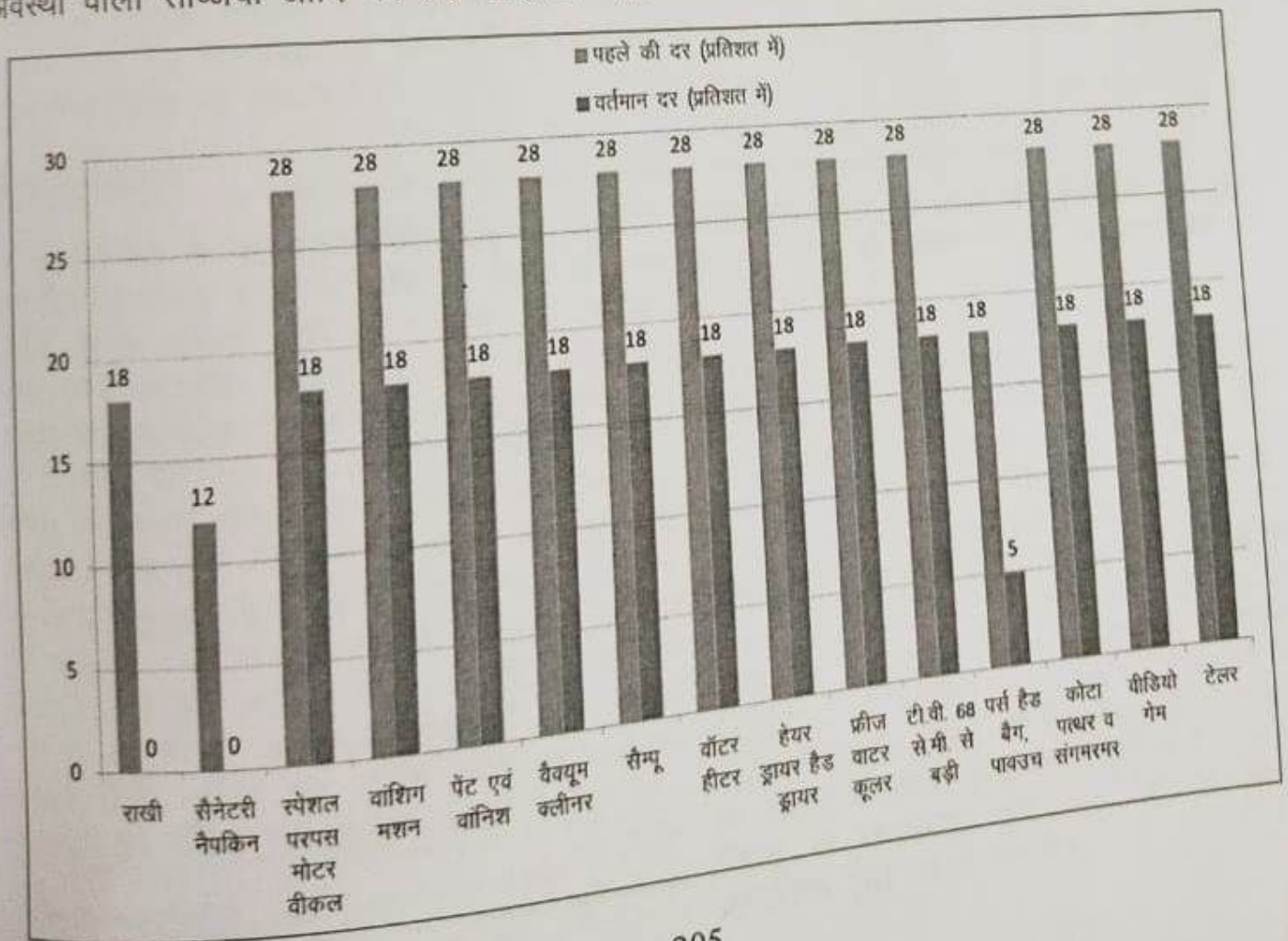

वस्तु एवं सेवा कर की दरों में परिवर्तन की तालिका

क्रमांक	वस्तु का नाम	पहले की दर (प्रतिशत में)	वर्तमान दर (प्रतिशत में)
1.	राखी	18	शून्य
2.	सैनेटरी नैपकिन	12	शून्य
3.	स्पेशल परपस मोटर वीकल	28	18
4.	वाशिंग मशन	28	18
5.	पेंट एवं वार्निश	28	18
6.	वैक्यूम क्लीनर	28	18
7.	सैम्पू	28	18
8.	वॉटर हीटर	28	18
9.	हेयर ड्रायर हैड ड्रायर	28	18
10.	फ्रीज वाटर कूलर	28	18
11.	टी.वी. 68 से.मी. से बड़ी	28	18
12.	पर्स हैड बैग, पावउच	18	5
13.	कोटा पत्थर व संगमरमर	28	18
14.	वीडियो गेम	28	18
15.	टेलर	28	18

अतः निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वस्तु एवं सेवाकर द्वारा आम आदमी की तकलीफो को दूर करने और उनको करो के भुगतान में सुविधा हो इस हेतु इस बार सरकार ने बहुत से परिवर्तन किए जिसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा व महंगाई कम होगी। परन्तु साथ ही जनता को भी करों का भुगतान समय पर कर सरकार के राजस्व में वृद्धि करना चाहिए। ताकि आर्थिक विकाश हो सके देश का।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. नवभारत टाइम्स जुलाई 24 2018
2. नवभारत टाइम्स जनवरी 11 2019
3. जीन्यूज जनवरी 2019
4. Economictimes of India January 2019
5.

REDMI NOTE 9 PRO AI QUAD CAMERA